RESEARCH COMMUNICATIONS
(An International Open Access, Peer Reviewed, Multidisciplinary Online Journal)
https://research-communications.cmpcollege.ac.in
C. M. P. DEGREE COLLEGE
(A Constituent P.G. College, University of Allahabad)

Volume-3, Issue-2, July-December 2025, pp 135-138 ISSN: 2584-1270

DOI: doi.org/10.65719/RC.3.2.2025.135

स्वामित्व योजना और ग्रामीण भारत पर इसका प्रभाव

डॉ. अनिल श्रीवास्तव[1] एवं मनोज कुमार वर्मा[2]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर एवं [2]शोध छात्र

राजनीति विज्ञान विभाग

सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

ई-मेल: *vermamanojkumar42@gmail.com*

शोध सार

स्वामित्व (गाँवो का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण) योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का ड्रोन के जरिए सर्वे और मैपिंग कर भू-स्वामियों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी क्षेत्रों में भूमि विवादों और उनके कारण बढ़ रहे संघर्ष, भूमि संपत्ति का संपार्श्विक के रुप में संस्थागत ऋण लेने और उसका मुद्रीकरण करने का अभाव, ग्राम पंचायतों का भूमि विवादों के कारण योजना तैयार करने में समस्या आदि कारकों ने स्वामित्व योजना की आवश्यकता को बल प्रदान किया। स्वामित्व योजना के उद्देश्यों में ग्रामीण स्तर पर आबादी क्षेत्रों में भूमि विवादों का समाधान करना और वास्तविक भू-स्वामियों को संपत्ति कार्ड प्रदान करके वित्तीय साधनों के उपयोग के लिए सक्षम बनाना तथा सटीक भूमि रिकॉर्ड के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को बेहतर ग्रामीण नियोजन तैयार करने में मदद करना है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल भूमि विवादों और संघर्षों में कमी आयेगी बल्कि संपत्तियों का वित्तीय साधनों व अन्य उपयोग के रुप में बढ़ावा मिलेगा तथा समावेशी विकास और देश की आर्थिक संवृद्धि को गति मिलेगी।

मूल शब्द: *स्वामित्व योजना, अधिकारों का रिकॉर्ड, पंचायती राज, समावेशी विकास*

प्रस्तावना

स्वामित्व योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम बनाने के संकल्प के साथ ग्रामीण इलाकों में आबादी क्षेत्रों के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मालिकों को संपत्ति कार्ड के रूप में 'अधिकारों का रिकार्ड' प्रदान करने के लिया किया गया।[1]

स्वामित्व योजना, केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक सहयोगात्मक प्रयास है और इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है जिसमें आबादी वाली भूमि के सीमांकन के लिए नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक शामिल है।[2]

स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के सभी 6.62 लाख गांवों के आबादी क्षेत्रों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) प्रदान करने के लिए ड्रोन और कोर्स (CORS- Continuously Operating Reference System) प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जायेगा। यह तकनीक कम समय और सटीक छवि पर आधारित मानचित्र के द्वारा संपत्ति के स्वामित्व के

टिकाऊ रिकॉर्ड के निर्माण की सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा। इस प्रक्रिया को संपूर्ण देश में 2025 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है।

योजना की आवश्यकता

अस्पष्ट संपत्ति स्वामित्व ने ऐतिहासिक रूप से न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी संकट और चुनौती उत्पन्न की है। खराब भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन, भूमि विवाद और संपत्ति के अस्पष्ट अधिकार के कारण स्वामित्व योजना की आवश्यकता निम्नलिखित रुप से महत्वपूर्ण है-

1. भारत में अधिकांश गांवों का सर्वेक्षण और उसका मानचित्र 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में किया गया था, जो पुरानी पद्धति के आधार पर संकलित किये गये थे और वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता कम हो गयी है। अतः व्यापक विकास को ध्यान में रखते हुए उन मानचित्रों को अद्यतन करने तथा संपत्ति के अधिकारों के रिकॉर्ड से जोड़ने की अत्यधिक आवश्यकता है।
2. भूमि विवादों के कारण देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विवादित भूमि स्वामित्व के परिणामस्वरूप भारत को सालाना लगभग 1.3% आर्थिक वृद्धि[3] का नुकसान होता है।
3. पंचायतों के पास राजस्व के स्रोत बहुत सीमित है। यदि ग्रामीण भूमि का स्वामित्व स्पष्ट है तो अधिकारों के रिकॉर्ड को अद्यतन किया जा सकता है जिससे ग्राम पंचायतें संपत्ति कर लगाने में सक्षम होगी, इससे न केवल पंचायतें आत्मनिर्भर होगी बल्कि ग्रामीण भारत के विकास को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में पंचायतों का स्वयं का राजस्व उनके कुल राजस्व का केवल 5% है जबकि उनका 95% राजस्व राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किये गये वित्त पर निर्भर है।[4]
4. ग्रामीण इलाकों में आबादी क्षेत्रों के संपत्ति का दस्तावेजी रिकॉर्ड के अभाव के कारण संस्थागत ऋण लेने में समस्या (जैसे- बैंकिंग ऋण मिलने में समस्या) का सामना करना पड़ता है।
5. ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नत मानचित्रण का अभाव तथा भूमि विवाद के कारण ग्राम पंचायतों को बेहतर ग्रामीण नियोजन के निर्माण में बाधा उत्पन्न होना।
6. ये भूमि विवाद निवेश के लिए पूँजी और ऋण की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है और उत्पादकता को कम करते है क्योंकि असुरक्षित भूमि मालिकों को अपनी भूमि में निवेश करने के लिए कम प्रोत्साहन मिलता है।

स्वामित्व योजना का उद्देश्य

स्वामित्व योजना के मुख्य उद्देश्य[5] निम्नलिखित है-

1. ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।
2. ग्रामीण स्तर पर संपत्ति कर निर्धारण को आसान बनाना।
3. ग्रामीण भूमि के सही मालिकों को संपत्ति का अधिकार उपलब्ध कराना।
4. सर्वेक्षण अवसंरचना और जी.आई.एस. (GIS- Geographic Information System) मानचित्रों का निर्माण, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए किया जा सकता है।
5. जी.आई.एस. मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता करना।
6. ग्रामीण भारत में नागरिकों को संस्थागत ऋण (जैसे- बैंक ऋण) और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना।

स्वामित्व योजना का ग्रामीण भारत पर प्रभाव

भूमि विवादों का समाधान और वास्तविक भूमि मालिकों को संपत्ति का स्वामित्व तथा 'अधिकारो का रिकॉर्ड' मिलने से ग्रामीण भारत पर निम्नलिखित दूरगामी प्रभाव[6] परिलक्षित होंगे-

1. **बेहतर ग्रामीण नियोजन और सतत आवासों का निर्माण-** स्वामित्व योजना के तहत उपलब्ध उच्च क्षमता वाले मानचित्रों और भूस्थानिक डेटा का उपयोग योजनाओं के बेहतर निर्माण और उनका उचित समय में क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा । साथ ही इस डेटा के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना के द्वारा बुनियादी ढाँचा जैसे- सतत आवास, शैक्षणिक संस्थान, सड़क, शौचालय, खेल का मैदान, जल निकाय आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

2. **समावेशी समाज को प्रोत्साहन-** ऐतिहासिक रूप से समाज के वंचितवर्ग जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं विवादित भूमि के कारण संपत्ति के स्वामित्व से वंचित रही है। 'संपत्ति के अधिकारों का रिकॉर्ड' प्राप्त होने से गाँव के कमजोर आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास और लैंगिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

3. **भूमि प्रशासन में सुधार-** स्वामित्व योजना से भूमि विवादों में कमी आयेगी जिससे भूमि का बेहतर उपयोग और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा तथा बुनियादी ढाँचे के निर्माण और विकास को गति प्राप्त होगी।

4. **आर्थिक विकास को बढ़ावा-** इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को संपार्श्विक (Collateral) रुप में अपनी संपत्ति का मुद्रीकरण करने और बैंकिंग ऋण लेने में मदद करना है। संपत्ति कार्ड के बदले प्राप्त होने वाले बैंक ऋण और अन्य वित्तीय लाभ से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों और लघु उद्योग के विकास को गति मिलेगी जिससे अन्ततः देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

5. **सटीक संपत्ति कर का निर्धारण-** स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के वास्तविक संपत्तियों की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी जिससे संपत्तियों पर सटीक कर का निर्धारण किया जा सकेगा। इससे न केवल पंचायतों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी बल्कि वे ग्राम नियोजन के लिए अधिक समावेशी योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन कर पायेगी।

स्वामित्व योजना के उल्लेखित उद्देश्यों और सकारात्मक संभावित प्रभावों के अतिरिक्त कुछ चुनौतियाँ[7] भी विद्यमान है जो योजना के उद्देश्यों और सफलता को प्रभावित कर सकते है-

1. संपत्ति कार्ड के कानूनी वैधता की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। यदि संपत्ति कार्ड को कानूनी रूप से वैध नहीं बनाया जायेगा तो इससे प्राप्त होने वाले वित्तीय व अन्य लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।
2. सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों को संपत्ति कर वसूलने का अधिकार नहीं है, इससे पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्यों में सफलता नहीं मिल पायेगी। जैसे- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में जिला पंचायतें संपत्ति कर का संग्रहण करती है।
3. कमजोर और हाशिए पर रह रहे समुदायों के समावेशन की समस्या है क्योंकि यह वर्ग ग्रामीण विकास की भागीदारी की प्रक्रिया में बाधाओं का सामना कर रहा है।
4. स्वामित्व योजना की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की चुनौती है क्योंकि लोगों की भागीदारी के बिना भूमि विवादों का समाधान और योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना संभव नहीं होगा।
5. भूमि विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए भूमि विवाद शिकायत निवारण तंत्र का अभाव है जिसमें योजना कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न विवादों को दूर करने की चुनौती है।

उपर्युक्त चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करके स्वामित्व योजना की प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है जिससे इसके उद्देश्यों एवं लाभों की अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। स्वामित्व योजना के तहत प्राप्त 'संपत्ति के अधिकारों का रिकॉर्ड' लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जो आत्मनिर्भर ग्रामीण

अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूत कदम साबित हो सकता है। साथ ही, ग्रामीण आबादी में भूमि विवादों और संघर्षों का समाधान करके तथा उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित मानचित्रों का प्रयोग करके बेहतर योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन किया जा सकता है जो न केवल ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संवृद्धि तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

संदर्भ सूची

1. पंचायती राज मंत्रालय (2022). स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, नई दिल्ली: भारत सरकार, पृष्ठ- 22, 23
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय (अप्रैल, 2023). कुरुक्षेत्र मैगजीन (अंग्रेजी संस्करण), नई दिल्ली: भारत सरकार, पृष्ठ- 23
3. पूर्वोक्त
4. पंचायती राज मंत्रालय (2022). स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, नई दिल्ली: भारत सरकार, पृष्ठ- 22, 23
5. पंचायती राज मंत्रालय (2021). स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क (2021-25), नई दिल्ली: भारत सरकार, पृष्ठ- 58

ऑनलाइन स्त्रोत

1. https://svamitva.nic.in
2. https://static.pib.gov.in (Accessed On - 20 March 2025)